प्रेस नोट 04.07.2021

60 लीटर अवैध शराब बरामद, दो गिरफ्तार–

दिनांक 03.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा नूरूल्लाहपुर के पास से कमलेश चौहान पुत्र मैनेजर चौहान निवासी जमुनीपुर थाना मधुबन के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा लखनौर के पास से सुशीला राजभर पत्नी श्यामसुन्दर निवासी निवासी लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

टेम्पो में बैठे व्यक्ति से मोबाइल छिन कर भागने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 03.07.2021 को थाना **कोतवाली** क्षेत्रान्तर्गत भीटी ओवरब्रिज से टेम्पो में बैठे व्यक्ति के मोबाइल छिन कर भागने वाले दो शातिरो चन्दन पुत्र रामबदन निवासी अस्तुपुरा, सूरज पुत्र संतोष निवासी छेदनपुरा थाना दक्षिणटोला को छिनी गयी मोबाइलफोन व उसमें रखा 200 रूपये तथा मोटरसाइकिल के साथ वाादी व पब्लिक द्वारा पकड़ कर पुलिस को सूपूर्द किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/21 धारा 392,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 27 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा संतोष निवासी सूरजपुर, शैलेश, गोविन्द निवासीगण इब्राहिमाबाद, मूसाफिर, आकाश निासीगण सरौदा भगवानपुर थाना दोहरीघाट, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा बलीराम, चन्द्रभान निवासीगण विसूनपुर, कल्लू, रामजतन निवासीगण ढेचा, संदीप, संजय निवासीगण कीरतसराय थाना हलधरपुर, शेरबहादुर निवासी उचहुआ थाना तरवा जनपद आजमगढ़, रोहित, राहुल, रोशन निवासीगण थलईपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा जगधारी, कैलाश निवासीगण गोडसरा थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा फिरोज, अहमद, सद्दाम निवासीगण बल्लीपुरा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा सुधाकर यादव, सुदर्शन यादव निवासीगण बन्धनपुर थाना मधुबन, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा सूरज, जयनारायण निवासी बरूआ, नीरज, आदित्य निवासी मोहम्मदपुर हसनपुर सनोज निवासी प्यारेपुरा थाना घोसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 12 में पांच मामलों का हुआ निस्तारण–

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 16 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से 05 मामलों का निस्तारण हुआ। बैठक मे 11 मामलों में एक–एक पक्ष उपस्थित हुए। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 जुलाई 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया । ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से पूनम भारती और संतोष गौतम, सन्नो खातून और सलाहुद्दीन तथा कंचन देवी और नंदलाल ने आपसी सहमति से अपना मामला सुलह कर लिया। वही ललिता राजभर और गोविंद राजभर, किरन देवी और पिंटू के मामले मे पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति के चलते पत्रावली निस्तारित कर दी गई। इस दौरान 11 मामलों में एक–एक पक्षकार उपस्थित हुए। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 जुलाई 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, विनोद कुमार सिंह, महिला आरक्षी सुषमा चौहान, अनुराधा और प्रभावती ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।